167

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2182–एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–8–11 पारित द्वारा कलेक्टर, जबलपुर प्रकरण कमांक 08/अ–67/06–07.

मेसर्स नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
48–9–17, द्वारका नगर, विशाखा पट्नम
आंध्रप्रदेश – 530016 ——— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा –
कलेक्टर (माईनिंग) जिला जबलपुर ——— अनावेदक

श्री परेश वर्मा एवं श्री ओ0 पी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक ।
श्री बी0एन0 त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक शासन ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 19-8-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर के प्रकरण कमांक 08/अ–67/06–07 में पारित आदेश दिनांक 24–8–11 से व्यथित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि खनिज निरीक्षक, द्वारा कलेक्टर, जबलपुर को इस आशय का प्रतिवेदन पेश किया गया कि आवेदक ठेकेदार निर्माण कार्य में उपयोग किए जाने वाले गौण खनिजों की रॉयल्टी जमा नहीं की गई है तथा खनिज प्राप्ति के वैध स्त्रोतों की जानकारी नहीं दी गई है । इस कारण उसके विरूद्ध संहिता की धारा 247(7) के तहत प्रकरण तैयार किया जा रहा है । प्रतिवेदन में खनिज निरीक्षक द्वारा आवेदक द्वारा उपयोग

किए गए खनिज पर खनिज की रॉयल्टी की राशि रूपये 14,21,220/– देय बताई गई एवं उपयोग किए गए खनिज का बाजार मूल्य रूपये 1,06,90,500/– उल्लिखित करते हुए बाजार मूल्य का दुगना रूपये 02,13,81,000/– का अर्थदंड प्रस्तावित किया गया । इस प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 9–5–2006 को प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया तदुपरांत दिनांक 24–8–2011 को आदेश पारित करते हुए आवेदक द्वारा उपयोगित खनिज की तत्समय की दर से रायल्टी रूपये 42,19,197/– होती है इसमें से आवेदक कंपनी द्वारा खनिज रेत मात्र 12631 घ.मी. में से 12050 घ. मी. रेत के पिटपास प्रस्तुत किए गए हैं अतः उक्त को छोड़कर शेष रेत एवं अन्य खनिज की कुल 38,21,547/– रूपये की रॉयल्टी की राशि एवं खनिज निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित खनिजों की मात्रा का बाजार मूल्य राशि 58,41,000/– की दुगनी राशि 1,16,82,000/– का अर्थदंड आरोपित करते हुए आवेदक से वसूल करने के निर्देश दिए हैं । कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिये गये हैं कि कलेक्टर, जबलपुर द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है जैसाकि उनके आदेश दिनांक 24–8–11 से स्पष्ट है । कलेक्टर का उक्त आदेश नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के पूरी तरह विपरीत है । कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 247(7) के अधीन अर्थदण्ड इस आधार पर आरोपित किया गया है कि आवेदक पक्ष द्वारा उपयोगित खनिज की रायल्टी राशि शासन के खाते में जमा नहीं कराई है जबकि आवेदक के द्वारा समय–समय पर रायल्टी जमा कराने के उपरांत ही संबंधित खनिज का उपयोग निर्माण में किया गया है । रॉयल्टी जमा करने का उल्लेख खनिज निरीक्षक एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा किया गया है जो कि अभिलेख से स्पष्ट है ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा निर्माण कार्य में कंकर मिली मिट्टी का उपयोग किया गया है, जिस पर रायॅल्टी देय नहीं है । कलेक्टर द्वारा कंकर मिली मिट्टी को मुरम मानकर रॉयल्टी अधिरोपित कराना न्यायोचित नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा इस न्यायालय का ध्यान खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 20–4–06 के साथ संलग्न कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई, लो. सा. पुनर्वास संभाग, बरगी हिल्स जबलपुर के उत्तर की ओर

आकर्षित किया गया । जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि " आवेदक के द्वारा कंकड मिली पीली मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है जो गौंण खनिज की श्रेणी में नहीं आती है अतः रायल्टी का प्रश्न ही नहीं उठता । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा म0प्र0 शासन, खनिज साधान विभाग के आदेश दिनांक 03—11—2006 का हवाला दिया गया जिसमें साधारण मिट्टी पर रॉयल्टी देय न होने का उल्लेख है ।

यह तर्क दिया गया कि जिलाध्यक्ष ने अपने आदेश में आवेदक द्वारा उपयोग किए गए खनिज की रॉयल्टी की राशि 42,19,197/— बताई है और उसमें से आवेदक कंपनी द्वारा रेत के प्रस्तुत पिटपास का उल्लेख करते हुए 3,97,650/— की राशि कम कर शेष राशि रूपये 42,19,197/— दर्शाई गई है जो सही नहीं है प्रथम तो आवेदक पर कोई रॉयल्टी शेष नहीं है दूसरे उक्त राशि के अतिरिक्त आवेदक द्वारा 10,59,900/— की रॉयल्टी भी जमा की गई थी जिसका कोई उल्लेख कलेक्टर ने अपने आदेश में नहीं किया है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायालय का ध्यान कलेक्टर के अभिलेख के पृष्ठ 95 पर संलग्न कार्यपालन यंत्री, रानी अवंतीबाई लोधी सागर, जबलपुर के पत्र दिनांक 22—12—06 की ओर दिलाया गया ।

यह तर्क दिया गया कि संहिता की धारा 247(7) के प्रावधानों के अनुसार जो आधार तत्व अर्थदंड आरोपित करने के संबंध में दिए गए हैं उनमें से एक भी आधार इस प्रकरण में नहीं हैं । कलेक्टर ने अपने आदेश में खनिज अधिकारी/खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया है, परंतु उक्त अधिकारियों द्वारा उक्त प्रतिवेदन किस आधार पर तैयार किया गया है, इसका कोई उल्लेख उनके आदेश में नहीं है । खनिज निरीक्षक ने किस आधार पर आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना बताया गया हे, इसका कोई उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं है । अवैधानिक खनिज उत्खनन किस क्षेत्र से किया गया है, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है ।

यह तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 247(7) के अनुसार उत्खनन के प्रकरणों में प्रमाण भार शासन है और शासन को शंका से परे प्रकरण साक्ष्य से सिद्ध करना चाहिए । मौजूदा प्रकरण में न तो अवैध उत्खनन करते हुए किसी ने देखा है न ही अवैध उत्खनन मौके पर जप्त किया है तथा न ही अवैध उत्खनन में लाई गई सामग्री जप्त की गई है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 247 (7) के अंतर्गत विवादित भूमि का सीमांकन तथा स्थल निरीक्षण

उत्खननकर्ता की उपस्थिति में होना चाहिए जबकि इस प्रकरण में कोई सीमांकन नहीं हुआ है । शासकीय कार्य में किया गया उत्खनन वैसे भी अवैध उत्खनन नहीं होता है तथा उस पर धारा 247 (7) के अंतर्गत अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता है । उक्त बिंदुओं पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया है । अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा 1996 आर.एन. 365 एवं 1994 आर.एन. 241 1968 आर0एन0 261 एवं 1976 आर0एन0 419, 1976 आर.एन. 453 एवं 1985 आर.एन. 119, 1968 आन.एन. 261, 1988 आर.एन. 64, 1981 एम.पी.डब्लू.एन. ৺ नोट 247 का हवाला दिया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा निर्माण कार्य में जिन गौंण खनिज का उपयोग किया गया है, वह उसके द्वारा कहां से कय किये गये इसके संबंध में जानकारी नहीं दी गई है और ना ही उपयोग किये गये गौंण खनिज पर रॉयल्टी जमा की गई है । अतः कलेक्टर द्वारा रॉयल्टी जमा करने के साथ—साथ उस पर अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश देना में कोई अवैधानिक कार्यवाही नहीं की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का परिशीलन किया गया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा खनिज निरीक्षक की रिर्पोट दिनांक 20—4—06 के आधार पर आवेदक के विरूद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया है । खनिज निरीक्षक ने अपने उक्त प्रतिवेदन में आवेदक द्वारा नहर निर्माण में उपयोग किए गए खनिज को अवैध उत्खनन किया जाना मानकर संहिता की धारा 247(7) के तहत अवैध उत्खनन का प्रकरण तैयार किया गया है । रॉयल्टी जमा न करने के आधार मर संहिता की धारा 247 (7) के तहत अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज करना संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन में अवैध उत्खनन आवेदक द्वारा किस स्थान से किया गया है इसका कोई उल्लेख नहीं है और ना ही अवैध उत्खनन की मात्रा की गणना उनके द्वारा किस आधार पर की गई है इसका उल्लेख है । अतः ऐसे प्रतिवेदन के आधार पर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । अभिलेख में खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के साथ कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई, लो.

सा. पुनर्वास संभाग, बरगी हिल्स जबलपुर के उत्तर की प्रति संलग्न है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदक के द्वारा नहरों में उपयोग की जाने वाली सी0एन0एस0 में कंकर मिली पीली मिट्‌टी का उपयोग किया जा रहा है जो गौंण खनिज की श्रेणी में नहीं आती है अतः रायल्टी का प्रश्न ही नहीं उठता । इससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा सी0एन0एस0 में कंकर मिली पीली मिट्‌टी का उपयोग किया गया है जिसे कलेक्टर द्वारा मुरम मानकर रॉयल्टी लगाना तथा अवैध उत्खनन मानने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

6/ कलेक्टर के आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है अभिलेख में दिनांक 10–8–11 की पेशी पर उपस्थित होने हेतु आवेदक को भेजे गये सूचनापत्र की प्रति संलग्न है किंतु उक्त सूचनापत्र आवेदक पर तामील हो चुका था इसका उल्लेख 10–8–11 की आदेश पत्रिका में नहीं है और ना ही आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने का कोई उल्लेख है । इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतः विपरीत है ।

7/ कलेक्टर के आदेश को देखने से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा आवेदक पर संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत केवल इस आधार अर्थदण्ड आरोपित किया गया है कि आवेदक द्वारा रॉयल्टी की राशि जमा नहीं कराई गई है और विभाग द्वारा भी रॉयल्टी राशि जमा कराये जाने हेतु कोई समाधानकारक कार्यवाही नहीं की गई है । कलेक्टर ने अपने आदेश में खनिज निरीक्षक द्वारा आवेदक द्वारा किए गए कार्य में उपयोग की गई खनिज गिट्‌टी, मुरम, रेत व बोल्डर का उल्लेख करते हुए उक्त खनिज की रॉयल्टी रूपये 42,19,197/– बताई गई है और यह कहा गया कि आवेदक कंपनी द्वारा रेत के 12050 घ.मी. रेत के पिटपास पेश किए हैं अतः उक्त को छोड़कर शेष रेत एवं खनिज की रॉयल्टी रूपये 38,21,547/– शेष बताई है एवं यह कहा है कि उक्त राशि आवेदक द्वारा अनेकों बार आदेशित कराने के उपरांत जमा नहीं कराई है । रॉयल्टी जमा न कराने संबंधी कलेक्टर का निष्कर्ष अभिलेख पर आधारित नहीं है क्योंकि कलेक्टर न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अभिलेख में संलग्न पत्रादि से स्पष्ट है आवेदक द्वारा समय–समय पर रॉयल्टी की राशि जमा कराई गई है, और खनिज निरीक्षक एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा भी समय–समय पर

आवेदक की ओर से जमा कराई गई रॉयल्टी की राशि का उल्लेख आदेश पत्रिकाओं एवं अभिलेख में संलग्न पत्रों में किया गया है । इसके अतिरिक्त आवेदक कंपनी द्वारा जमा कराई गई 10,59,900/— रूपये की रॉयल्टी का उल्लेख कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में क्यों नहीं किया गया इसका कोई कारण उन्होंने नहीं दिया है, जबकि आवेदक द्वारा 10,59,900/— की रॉयल्टी जमा किए जाने का उल्लेख कलेक्टर के अभिलेख के पृष्ठ 95 पर संलग्न कार्यपालन यंत्री, रानी अवंतीबाई लोधी सागर, जबलपुर के पत्र दिनांक 22—12—06 जो उन्होंने कलेक्टर, जबलपुर को लिखा है, किया गया है एवं उसके सत्यापन हेतु कार्यालय के सहायक वरिष्ठ लेखा सहायक को भेजे जाने का उल्लेख किया है । इससे आवेदक कंपनी के इस तर्क को बल मिलता है कि रॉयल्टी की गणना मनमाने तरीके से की गई है । संबंधित विभागों द्वारा रॉयल्टी की राशि जमा कराये जाने के संबंध में समाधानकारक कार्यवाही न करने के कारण आवेदक पर अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता है । कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में रॉयल्टी न जमा कराने के अतिरिक्त अन्य कोई वैधानिक आधार अपीलार्थी पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने के संबंध में अपने आदेश नहीं दर्शाया गया है और न किसी प्रावधान का उल्लेख किया गया कि उक्त अर्थदण्ड उनके द्वारा किस गणना के आधार पर अधिरोपित किया गया है । इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कलेक्टर द्वारा वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आदेश पारित न कर मनमाने स्वरूप का आदेश पारित किया गया है ।

8/ उत्खनन के प्रकरणों में सबूत का भार शासन पर होता है कि वह सिद्ध करे कि अवैध उत्खनन हुआ है और यदि अवैध उत्खनन सिद्ध नहीं किया गया तो आवेदक पर अर्थदण्ड की राशि अधिरोपित नहीं की जा सकती है । इस प्रकरण में इस प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह माना जा सके कि अपीलांट द्वारा अवैध उत्खनन किया गया है । न्यायदृष्टांत 2005 आर.एन. 107 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 247 (7) — सबूत का भार सरकार पर — खनन निरीक्षक की साधारण रिर्पोट — उसकी परीक्षा किए जाने और प्रतिपरीक्षण का अवसर दिए जाने के अभाव में पर्याप्त नहीं — साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए । न्यायदृष्टांत 1976 आर.एन. 453 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 237 (7) अवैध उत्खनन किए जाने के संबंध में समुचित प्रमाण दिया जाना आवश्यक है और प्रमाण भार राज्य पर है । उसके द्वारा ही सिद्ध किया जाना होता है कि खनिज संपदा का अनुचित दोहन

अथवा अवैध उत्खनन किया गया है । न्यायदृष्टांत 97 आर. एन. 174 में यह व्यवथा दी गई है कि धारा – 247(7) खानों से अवैध उत्खनन का मामला – सरकार द्वारा पूर्णतः साबित किया जाना होता है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 89 आर.एन. 579 में भी यह न्यायिक व्यवस्था दी गई है कि धारा 247– के तहत खनिज निरीक्षक द्वारा किसी व्यक्ति के विरूद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर जांच की जाती है तो उसे साबित करने का भार शासन पर होता है । न्यायदृष्टांत 1996 आर.एन. 365 में यह व्यवस्था दी गई है कि धारा 247 – खनिज अवैध रूप से निकालना – उपबंध दांडिक प्रकृति का है युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए – मामला साबित नहीं जुर्माना नहीं लगाया जा सकता । उक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में भी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश त्रुटिपूर्ण हैं । जहां तक अपीलांट की ओर से उद्धरित अन्य न्यायदृष्टांतों का प्रश्न है, उनके अवलोकन से यह पाया जाता है कि वे न्यायदृष्टांत इस प्रकरण में पूरी तरह लागू होते हैं । कलेक्टर द्वारा इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया गया है कि आवेदक द्वारा जो भी खनिज का उपयोग किया गया हे वह शासकीय निर्माण में किया गया है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर द्वारा आवेदक पर अर्थदण्ड आरोपित करना पूरी तरह अवैधानिक एवं अन्यायिक है अतः उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–11 जहां तक अर्थदण्ड आरोपित करने का प्रश्न है, उस सीमा तक अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है । शेष आदेश जहां तक आवेदक पर रॉयल्टी की राशि रूपये 38,21,547/– देय बताई गई है स्थिर रखा जाता है और रॉयल्टी की देय बताई गई उक्त राशि में से आवेदक कंपनी द्वारा जमा कराई गई 10,59,900/– की रॉयल्टी की राशि जिसकी पुष्टि कलेक्टर न्यायालय के अभिलेख के पृष्ठ 95 पर संलग्न कार्यपालन यंत्री के पत्र दिनांक 22–12–06 से होती है को आवेदक पर शेष बताई गई राशि रूपये 38,21,547/– में से कम किया जाकर आवेदक को निर्देश दिए जाते हैं कि वे रॉयल्टी की शेष बची राशि राशि रूपये 27,61,647/– इस आदेश के दिनांक से 3 माह में जमा करें । कलेक्टर को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा रॉयल्टी की बाकी बची शेष राशि रूपये 27,61,647/– जमा कराये जाने की रसीद प्रस्तुत करने पर प्रकरण समाप्त

किया जाये और यदि आवेदक द्वारा उक्त राशि 3 माह की अवधि में जमा नहीं की जाती है तो नियमानुसार उसके विरूद्ध रॉयल्टी की उक्त राशि की वसूली की कार्यवाही की जाये ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर